रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 2 जुलाई, 2022 ई० (आषाढ़ 11, 1944 शक संवत्) [संख्या 27

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	617–626	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	431–448	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	143–158	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	337–340	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग-3

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 103/1/5/2019-सीएक्स-3—चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्लांट में गैस का आयात एवं रिफलिंग कर उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, जिलों एवं उत्तराखण्ड राज्य के रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल जिलों को वितरण किया जाता है।

और चूंकि उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विध्न पड़ने संबंधी सूचना से शत्रु को लाभ पहुंचेगा।

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अपनी अधिसूचना एस0ओ0 संख्या 1285 दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है और यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एल0पी0जी0 बॉटलिंग प्लांट, प्लाट नं0-बी-60 एवं 61, रोड नं0 4 परसा, खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र बरेली-243502—

पूर्व में—	एम/एस एस0के0सी0 वुड्स गोडाउन।
पश्चिम में—	रोड संख्या 4/एफ0सी0आई0 का गोदाम/प्लाई इण्डस्ट्री।
उत्तर में—	खाली भूमि।
दक्षिण में—	रोड संख्या 5/एफ0सी0आई0 का गोदाम।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 103/1/5/2019-CX-3, dated December 27, 2021 for general information.

NOTIFICATION

December 27, 2021

No. 103/1/5/2019-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for importing gas in plant and distribution by refilling to Bareilly, Rampur, Badaun, Shahjahanpur, Lakhimpur Kheri, Pilibhit, Hardoi, Sitapur districts of the State of Uttar Pradesh and Rudrapur, Haldwani, Nainital, district of the State of Uttarakhand;

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India have *vide* their Notification S.O. no. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (C) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause *(d)* of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a ''prohibited place'' for the purposes of the aforesaid Act and to direct that a copy of this notification in English and in the varnacular of the locality be affixed to the said premises:

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place

Bharat Petroleum Corporation Limited, L.P.G. Bottling Plant, Plot no. B-60 & 61, Road no. 4 Parsakhera Industrial Area, Bareilly-243502.

In East-	M/S. S.K.C. Woods Godown.
In West-	Road no. 4/F.C.I. Godown/Ply Industries.
In North-	Open Land.
In South-	Road no. 5/F.C.I. Godown.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Secretary.

सं0 1092/2021-सीएक्स-3–चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग भारतीय सेना के रक्षा एवं सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिये किया जाता है;

और चूंकि उसके नष्ट होने से या उसमें रुकावट या विध्न पड़ने संबंधी सूचना से शत्रु को लाभ पहुंचेगा।

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अपनी अधिसूचना एस0ओ0 संख्या 1285 दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद।

पूर्व में–	टाटा भूषण स्टील, जैन मार्बल्स से पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग।
पश्चिम में–	पी0एस0 लिंक रोड से महाराजपुर गांव को जोड़ने वाला मार्ग।
उत्तर में–	पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र को कौशाम्बी से जोड़ने वाला मार्ग।
दक्षिण में–	जैन मार्बल्स की ओर से पी0एस0 लिंक रोड को जोड़ने वाला मार्ग (मदन मोहन मालवीय मार्ग)।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1092/2021-CX-3, dated December 27, 2021 for general information:

NOTIFICATION

December 27, 2021

No. 1092/2021-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for manufacturing of defence and security equipments of the Indian Army;

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India have *vide* their Notification S.O. no. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (C) and (D) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause *(d)* of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a ''prohibited place'' for the purposes of the aforesaid Act and to direct that a copy of this notification in English and in the varnacular of the locality be affixed to the said premises:

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place

Bharat Electronics Limited, Ghaziabad

In East-	Connecting road alongwith Tata Bhushan Steel, Jain Marbles to Police Chowki-Industrial area.

In West-	Connecting road from PS-Link road to Maharajpur Village.
In North-	Connecting road from Police Chowki Industrial area to Kaushambi.
In South-	Connecting road from Jain Marbles to PS-Link road (Madan Mohan Malviya Marg).

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Secretary.

24 जनवरी, 2022 ई0

सं0 103/1/2020-सीएक्स-3–चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग अबाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है;

और चूंकि उससे संबंधित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुंचेगा।

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अपनी अधिसूचना एस0ओ0 संख्या 1285 दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जान भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

765/400 के0वी0जी0आई0एस0 उपकेन्द्र, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम), ठठरा निकट कछवा रोड, वाराणसी।

पूर्व में–	गाटा संख्या 276 (बंधा)
पश्चिम में–	कछवा–झौवा रोड, (लिंक मार्ग)।
उत्तर में–	गाटा संख्या 220, 221, 222 एवं 224 (कृषि भूमि)।
दक्षिण में–	गाटा संख्या 973 (बाहा)।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 103/1/2020-CX-3, dated January 24, 2022 for general information.

NOTIFICATION

January 24, 2022

No. 103/1/2020-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for ensure uninterrupted Power Supply;

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India have *vide* their Notification S.O. no. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (C) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause *(d)* of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a ''prohibited place'' for the purposes of the aforesaid Act and to direct that a copy of this notification in English and in the varnacular of the locality be affixed to the said premises:

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place

765/400 kv GIS substation, powergrid Corporation of India Limited (Govt. of India Enterprises), Thathra, Near kachhwa Road, Varanasi.

In East-	Gata no. 276 (Bandha).
In West-	Kachhwa Jauwa Road (Link Road).
In North-	Gata no. 220, 221, 222 & 224 (Agriculture Land).
In South-	Gata no. 973 (Baha).

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Secretary.

गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

05 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 320/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 05-01-2022 से 07-01-2022 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
2	दिनांक 10-01-2022 से 13-01-2022 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 17-01-2022 से 21-01-2022 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 321/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 23 नवम्बर, 2021 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 तक 15 (पन्द्रह) का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 322/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 18-11-2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 22-11-2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 13-12-2021 से 15-12-2021 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
4	दिनांक 23-12-2021 से 24-12-2021 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 323/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 02-11-2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 18-11-2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

सं0 364/22-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–श्री उमेश चन्द्र शर्मा, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2022 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

कार्यालय-आदेश

06 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 331/छः पु0से0-2-22-522(19)/2022—गृह विभाग के अधीन आईपीएस अधिकारियों के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी का पद समाप्त करते हुये पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ग्रामीण, कानपुर आउटर एवं वाराणसी ग्रामीण पद के सृजन के साथ-साथ निम्नवत् पद सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	संगठन/इकाईवार
1	2	3	4
1	अपर पुलिस महानिदेशक पे-मैट्रिक्स लेवल-15 (1,82,200-2,24,100)	3	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-02, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-01
2	पुलिस महानिरीक्षक पे-मैट्रिक्स लेवल-14 (1,44,200-2,18,200)	3	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-02, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-01
3	पुलिस उप महानिरीक्षक पे-मैट्रिक्स लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600)	6	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-02, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-04
4	पुलिस अधीक्षक पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500)	32	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-17, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-11 साइबर क्राइम थाना-01, ए0टी0एस0 का सुदृढ़ीकरण-02+01

2—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या ई-12-151 (ई0ओ0)/दस-2022, दिनांक 04 अप्रैल, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

सं0 531/छः पु0से0-2022-03(अधियाचन)/2020—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर संस्तुत/चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत् है, को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,57,700) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	मेरिट क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
1	94	183823	श्री अमरीश कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार	01-08-1992	ग्राम व पोस्ट—छेरडीह, थाना रेवती, जनपद बलिया।

2–प्रस्तर-1 में अंकित उपर्युक्त अभ्यर्थी को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में तत्काल आधारभूत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त अभ्यर्थी को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

3–प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में उक्त चयनित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।

4–उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता हैं तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5–नियुक्त अभ्यर्थी से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन ऑफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-1

पदोन्नति

04 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 544/6-पु-1-22-1300(32)/88टीसी-I–उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के निम्नलिखित रेडियो निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक रेडियो अधिकारी (वेतन बैण्ड 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, लेवल-10) के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

चयन वर्ष 2020-2021, रिक्तियों की संख्या 03

क्र0 सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
		सर्वश्री/श्रीमती–	
1	01	मुकेश कुमार दुबे	दिनांक 31-03-2021 को सेवानिवृत्ति
2	02	सतेन्द्र सिंह	–
3	04	वीरेन्द्र कुमार वर्मा	–
4	05	भारत सिंह सेंगर	परिणामी रिक्ति के सापेक्ष

2–उक्त तालिका में क्रम संख्या-1 पर उल्लिखित कार्मिक के प्रश्नगत चयन वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाने के कारण घटित परिणामी रिक्ति के सापेक्ष ज्येष्ठता क्रमांक 5 पर उल्लिखित कार्मिक का चयन किया गया है।

3–प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित कोई याचिका विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य वेतन/भत्ते देय होंगे।

5–उक्त प्रोन्नत अधिकारियों की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

आज्ञा से,
जय शंकर राय,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–14 हिन्दी गजट–भाग 1–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जुलाई, 2022 ई० (आषाढ़ 11, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

ORDER

May 17, 2022

No. 120/Admin.(Services)-2022–The Hon'ble Court has been pleased to effect the following arrangement, effecting re-shuffling between District & Sessions Judges/Officers in the equivalent rank. The Hon'ble court has also been pleased to designate senior Additional District & Sessions Judges as Officers in the District & Sessions Judges and equivalent Rank.

The Government notification as subsequent notifications shall follow in due course. The Officers named as under be accordingly ready to take charge at their new place of posting indicated against their name, on or before 25.05.2022.

S.No.	Officer Name	From (Present Posting)	To (New Posting)
1	2	3	4
	(Shri/Smt.)–		
1	Radhey Shyam Yadava	District & Sessions Judge, Chitrakoot	Presiding Officer Motor Accident Claims Triubunal, Faizabad
2	Mohd. Azhar Husain Idrisi	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Autority, Meerut.	Pressiding Officer Commercial Court, Faizabad.

1	2	3	4
	(Shri/Smt.)–		
3	Yashwant Kumar Mishra	District & Sessions Judge, Bulandshahar.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Autority, Varanasi.
4	Shiv Kumar-I	District & Sessions Judge, Mirzapur.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Autority, Allahabad.
5	Sanjeev Fauzdar	District & Sessions Judge, Firozabad.	District & Sessions Judge, Faizabad.
6	Santosh Rai	District & Sessions Judge, Sultanpur.	District & Sessions Judge, Fatehpur.
7	Avnish Saxena	Spl. Officer-Vigilance, High Court, Allahabad.	District & Sessions Judge, Gautam Budh Nagar.
8	Anil Kumar Jha	District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat)	Presiding Officer Motor Accident Claims Triubunal, Balrampur.
9	Madan Pal Singh	District & Sessions Judge, Jaunpur.	District & Sessions Judge, Bijnor.
10	Dinesh Chand	District & Sessions Judge, Azamgarh.	Presiding Officer Motor Accident Claims Triubunal, Chitrakoot.
11	Ashok Kumar-VII	District & Sessions Judge, Gautam Budh Nagar.	Principal Judge, Family Court Azamgarh.
12	Narendra Bahadur Yadav	District & Sessions Judge, Balrampur.	Pressiding Officer Commercial Court, Moradabad.
13	Dr. Deepak Swaroop Saxena	District & Sessions Judge, Gonda.	Principal Judge, Family Court Bulandshahar.
14	Jitendra Kuamr Pandey	Pressiding Officer Commercial Court, Moradabad.	District & Sessions Judge, Ballia.
15	Ajai Kumar Srivastava-II	Presiding Officer Motor Accident Claims Triubunal, Kanpur Nagar (South).	Presiding Officer Motor Accident Claims Triubunal, Kannauj.
16	Lal Chandra Gupta	Pressiding Officer Commercial Court, Varanasi.	District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).
17	Avinash Saksena	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Lucknow.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Kanpur Nagar.

1	2	3	4
	(Shri/Smt.)–		
18	Jitendra Kumar Singh	Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow.	District & Sessions Judge, Azamgarh.
19	Smt. Vani Ranjan Agrawal	Principal Judge, Family Court, Bhadohi.	District & Sessions Judge, Jaunpur.
20	Surendra Singh-II	Principal Judge, Family Court, Aligarh.	District & Sessions Judge, Ghazipur.
21	Lallu singh	Presiding Officer, Commercial Court, Aligarh.	District & Sessions Judge, Balrampur.
22	Ravindra Kumar-I	Principal Judge, Family Court, Hapur.	District & Sessions Judge, Gonda.
23	Achal Sachdev	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Jhansi.	District & Sessions Judge, Rampur.
24	Smt. Babita Rani	Chairman, Administrative Tribunal-III, Lucknow.	District & Sessions Judge, Firozabad.
25	Anmol Pal	Principal Judge, Family Court, Ambedkar Nagar.	District & Sessions Judge, Mirzapur.
26	Utkarsh Chaturvedi	Principal Judge, Family Court, Sultanpur.	District & Sessions Judge, Bahraich.
27	Sunil Kumar-IV	Principal Judge, Family Court, Allahabad.	Principal Judge, Family Court, Maharajganj.
28	Ram Sulin Singh	Principal Judge, Family Court, Balrampur.	Presiding Officer, Commercial Court, Varanasi.
29	Raj Kumar Singh	Principal Judge, Family Court, Budaun.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Meerut.
30	Vishnu Kumar Sharma	Principal Judge, Family Court, Etawah.	Chairman, Administrative Tribunal-III, Lucknow.
31	Satendra Kumar	Principal Judge, Family Court, Kannauj.	Presiding Officer, Commercial Court, Aligarh.
32	Vijay Shanker Upadhyaya	Principal Judge, Family Court, Fatehpur.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Barielly.

1	2	3	4
	(Shri/Smt.)–		
33	Inder Preet Singh Josh	Presiding Officer, Commercial Court, Gautam Budh Nagar.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Jhansi.
34	Sanjiv Pandey	Principal Judge, Family Court, Bijnor.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Gautam Budh Nagar.
35	Pankaj Kumar Agrawal	Principal Judge, Family Court, Muzaffarnagar.	Principal Judge, Family Court, Allahabad.
36	Pankaj Kumar Singh	Senior Registrar, Allahabad High Court, Lucknow.	District & Sessions Judge, Bulandshahar.
37	Kuldeep Saxena	Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Gorakhpur.
38	Anupam Kumar	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Saharanpur.	Presiding Officer, Commercial Court, Gautam Budh Nagar.
39	Davendra Singh	Principal Judge, Family Court, Gorakhpur.	Presiding Officer, Commercial Court, Barielly.
40	Arvind Malik	Principal Judge, Family Court, Shamli.	Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow.
41	Pradeep Kumar Singh-II	Principal Judge, Family Court, Varanasi.	Principal Judge, Family Court, Faizabad.
42	Sanjay Kumar Malik	Principal Judge, Family Court, Jhansi.	Principal Judge, Family Court, Aligarh.
43	Neeraj Kumar	Principal Judge, Family Court, Banda.	Presiding Officer, Commercial Court, Meerut.
44	Harish Tripathi	Principal Judge, Family Court, Barielly.	Presiding Officer Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Lucknow.
45	Satya Prakash Tripathi	Principal Judge, Family Court, Ballia.	Principal Judge, Family Court, Raebareli.
46	Ravindra Vikram Singh	Principal Judge, Family Court, Raebareli.	Presiding Officer, Commercial Court, Jhansi.
47	Amit Pal Singh	Principal Judge, Family Court, Jalaun at Orai.	Principal Judge, Family Court, Hapur.

1	2	3	4
	(Shri/Smt.)–		
48	Ram Naresh Maurya	Principal Judge, Family Court, Agra.	Principal Judge, Family Court, Bhadohi.
49	Arvind Kumar Mishra-II	Principal Judge, Family Court, Basti.	Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.
50	Smt. Anita Raj	Principal Judge, Family Court, Ghaziabad.	Principal Judge, Family Court, Basti.
51	Ashok Kumar Premi	Principal Judge, Family Court, Hamirpur.	Principal Judge, Family Court, Jhansi.
52	Manoj Kumar Singh Gautam	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Jaunpur.	Principal Judge, Family Court, Gorakhpur.
53	Adil Aftab Ahmad	Principal Judge, Family Court, Mau.	Principal Judge, Family Court, Ambedkar Nagar.
54	Ramesh Chand-I	Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.	Principal Judge, Family Court, Etawah.
55	Smt. Reeta Kaushik	Principal Judge, Family Court, Faizabad.	Principal Judge, Family Court, Jaunpur.
56	Bhoo Dev Gautam	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Faizabad.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Jaunpur.
57	Ram Nagina Yadav	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lucknow.	Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar.
58	Birendra Kumar Singh	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bulandshahar.	Principal Judge, Family Court, Ghaziabad.
59	Ashok Kumar Singh-V	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gautam Budh Nagar.	Principal Judge, Family Court, Mau.
60	Rajendra Prasad Srivastava-III	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Agra.	Principal Judge, Family Court, Banda.
61	Indra Dev Dubey	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad.	Principal Judge, Family Court, Hamirpur.
62	Satya Prakash	Principal Judge, Family Court, Jaunpur.	Principal Judge, Family Court, Budaun.

1	2	3	4
	(Shri/Smt.)–		
63	Dhruva Kumar Tiwari	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Rampur.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (South).
64	Padmakar Mani Tripathi	Addl. District & Sessions Judge, Lucknow.	Principal Judge, Family Court, Balrampur.
65	Zaigam Uddin	Addl. District & Sessions Judge, Raebareli.	Principal Judge, Family Court, Jalaun at Orai.
66	Km. Rekha Agnihotri	Spl. Judge/Addl. District & Sessions Judge, Gaziabad.	Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri.
67	Rakesh Kumar Shukla	Spl. Secy & Addl. L.R., Govt of U.P.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar.
68	Chandra Bhanu Singh	Addl. District & Sesssions Judge, Budaun.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Aligarh.
69	Vipin Kumar-I	Addl. District & Sesssions Judge, Balrampur.	Principal Judge, Family Court, Agra.
70	Km. Aradhana Rani	Addl. District & Sesssions Judge, Saharanpur.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Rampur.
71	Dharni Dhar Ojha	Judicial Member, Commercial Tax Tribunal, Kanpur Nagar.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gorakhpur.
72	Arbind Kumar Upadhyay	Addl. District & Sesssions Judge, Spl. Judge/Pilibhit.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kaushambi.
73	Vinod Kumar Jaiswal	Addl. District & Sesssions Judge, Kushinagar.	Principal Judge, Family Court, Kannauj.
74	Rajeshwar Shukla	Addl. District & Sesssions Judge, Bulandshahar.	Principal Judge, Family Court, Fatehpur.
75	Smt. Rajani Singh	Spl. J. (SC/ST, Pev. of Atrocities Act), Balrampur.	Principal Judge, Family Court, Ballia.
76	Satya Nand Upadhyaya	Addl. District & Sesssions Judge, Gorakhpur.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Aligarh.
77	Rajesh Upadhyay	Spl. J. (SC/ST, Pev. of Atrocities Act), Kushinagar.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Agra.
78	Vinod Kumar Singh-IV	Addl. District & Sesssions Judge, Lakhimpur Kheri.	Principal Judge, Family Court, Bijnor.
79	Anil Kumar Pandey	Addl. District & Sesssions Judge, Mathura.	Principal Judge, Family Court, Shamli.

1	2	3	4
	(Shri/Smt.)–		
80	Narendra Kumar Pandey	Spl. J. (SC/ST, Pev. of Atrocities Act), Mathura.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gautam Budh Nagar.
81	Sanjay Kumar-III	Addl. District & Sesssions Judge, Sitapur.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Saharanpur.
82	Ravindra Kumar-II	Addl. District & Sesssions Judge, Hardoi.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lucknow.
83	Rajendra Prasad Tripathi	Addl. District & Sesssions Judge, Varanasi.	Principal Judge, Family Court, Barielly.
84	Mahendra Singh-III	Spl. J. (SC/ST, Pev. of Atrocities Act), Budaun.	Principal Judge, Family Court, Sultanpur.
85	Budhi Sagar Mishra	Addl. District & Sesssions Judge, Mau.	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad (South).
86	Arvind Kumar Srivastava	Addl. District & Sesssions Judge, Jaunpur.	Principal Judge, Family Court, Varanasi.
87	Smt. Reeta Gupta	Spl. J. (SC/ST, Pev. of Atrocities Act), Sitapur.	Principal Judge, Family Court, Gonda.

Sri Peeush Pandey, presently Registrar, N.C.L.A.T., New Delhi, is redesignated as District & Sessions Judge/in equivalent Rank and he is to continue in his present place of posting till 27.11.2022 as Registrar, N.C.L.A.T., New Delhi.

No. 121/Admin.(Services)-2022–1. The serial no. 24 of Court's Notification No. 120/Admin(S) dated 17.05.2022 is hereby cancelled.

2. In partial modification in serial no. 30 of Court's Notification No. 120/Admin(S) dated 17.05.2022, Sri Vishnu Kumar Sharma, Principal Judge, Family Court, Etawah to be District & Sessions Judge, Chitrakoot.

3. In Partial modification in serial no. 76 of Court's Notification No. 120/Admin(S) dated 17.05.2022, Sri Satya Nand Upadhyaya, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Principal Judge, Family Court, Muzaffar Nagar.

By order,
ASHISH GARG, *H.J.S.,*
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

May 20, 2022

No. 122/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022 dated 19-05-2022, Sri Radhey Shyam Yadava, District & Sessions Judge, Chitrakoot to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Faizabad.

No. 123/Admin.(Services)-2022–Sri Mohd. Azhar Husain Idrisi, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Meerut to be Presiding Officer, Commercial Court, Faizabad.

No. 124/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022 dated 19-05-2022, *Sri Yashwant Kumar Mishra, District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Varanasi.

No. 125/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022 dated 19-05-2022, *Sri Shiv Kumar-I, District & Sessions Judge, Mirzapur to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Allahabad.

No. 126/Admin.(Services)-2022–Sri Sanjeev Fauzdar, District & Sessions Judge, Firozabad to be District & Sessions Judge, Faizabad.

No. 127/Admin.(Services)-2022–Sri Santosh Rai, District & Sessions Judge, Sultanpur to be District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 128/Admin.(Services)-2022–Sri Avnish Saxena, Special Officer (Vigilance), High Court, Allahabad to be District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar.

No. 129/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022 dated 19-05-2022, Sri Anil Kumar Jha, District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Balrampur.

No. 130/Admin.(Services)-2022–Sri Madan Pal Singh, District & Sessions Judge, Jaunpur to be District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 131/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022 dated 19-05-2022, Sri Dinesh Chand, District & Sessions Judge, Azamgarh to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Chitrakoot.

No. 132/Admin.(Services)-2022–Purasuant to Government Notification No. 2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Ashok Kumar-VII, District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar to be Principal Judge, Family Court, Azamgarh.

No. 133/Admin.(Services)-2022–Sri Narendra Bahadur Yadav, District & Sessions Judge, Balrampur to be Presiding Officer, Commercial Court, Moradabad.

No. 134/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. 2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Dr. Deepak Swaroop Saxena, District & Sessions Judge, Gonda to be Principal Judge, Family Court, Bulandshahar.

No. 135/Admin.(Services)-2022–Sri Jitendra Kumar Pandey, Presiding Officer, Commercial Court, Moradabad to be District & Sessions Judge, Ballia.

No. 136/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022 dated 19-05-2022, Sri Ajai Kumar Srivastava-II, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (South) to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kannauj.

No. 137/Admin.(Services)-2022–Sri Lal Chandra Gupta, Presiding Officer, Commercial Court, Varanasi to be District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

No. 138/Admin.(Services)-2022–Purasuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Avinash Saksena, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation &

Resettlement Authority, Lucknow to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Kanpur Nagar.

No. 139/Admin.(Services)-2022–Sri Jitendra Kumar Singh, Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow to be District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 140/Admin.(Services)-2022–Smt. Vani Ranjan Agrawal, Principal Judge, Family Court, Bhadohi at Gyanpur to be District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 141/Admin.(Services)-2022–Sri Surendra Singh-II, Principal Judge, Family Court, Aligarh to be District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 142/Admin.(Services)-2022–Sri Lallu Singh, Presiding Officer, Commercial Court, Aligarh to be District & Sessions Judge, Balrampur.

No. 143/Admin.(Services)-2022–Sri Ravindra Kumar-I, Principal Judge, Family Court, Hapur to be District & Sessions Judge, Gonda.

No. 144/Admin.(Services)-2022–Sri Achal Sachdev, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Jhansi to be District & Sessions Judge, Rampur.

No. 145/Admin.(Services)-2022–Sri Anmol Pal, Principal Judge, Family Court, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be District & Sessions Judge, Mirzapur.

No. 146/Admin.(Services)-2022–Sri Utkarsh Chaturvedi, Principal Judge, Family Court, Sultanpur to be District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 147/Admin.(Services)-2022–Purasuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Sunil Kumar-IV, Principal Judge, Family Court, Allahabad to be Principal Judge, Family Court, Maharajganj.

No. 148/Admin.(Services)-2022–Sri Ram Sulin Singh, Principal Judge, Family Court, Balrampur to be Presiding Officer, Commercial Court, Varanasi.

No. 149/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Raj Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, Budaun to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Meerut.

No. 150/Admin.(Services)-2022–Sri Vishnu Kumar Sharma, Principal Judge, Family Court, Etawah to be District & Sessions Judge, Chitrakoot.

No. 151/Admin.(Services)-2022–Sri Satendra Kumar, Principal Judge, Family Court, Kannauj to be Presiding Officer, Commercial Court, Aligarh.

No. 152/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Vijay Shanker Upadhyaya, Principal Judge, Family Court, Fatehpur to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Bareilly.

No. 153/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Inder Preet Singh Josh, Presiding Officer, Commercial Court, Gautam Buddha Nagar to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Jhansi.

No. 154/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Sanjiv Pandey, Principal Judge, Family Court, Bijnor to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Gautam Buddha Nagar.

No. 155/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Pankaj Kumar Agrawal, Principal Judge, Family Court, Muzaffarnagar to be Principal Judge, Family Court, Allahabad.

No. 156/Admin.(Services)-2022–Sri Pankaj Kumar Singh, Senior Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow to be District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 157/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Kuldeep Saxena, Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Gorakhpur.

No. 158/Admin.(Services)-2022–Sri Anupam Kumar, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Saharanpur to be Presiding Officer, Commercial Court Gautam Buddha Nagar.

No. 159/Admin.(Services)-2022–Sri Devendra Singh, Principal Judge, Family Court, Gorakhpur to be Presiding Officer, Commercial Court, Bareilly.

No. 160/Admin.(Services)-2022–Sri Arvind Malik, Principal Judge, Family Court, Shamli at Kairana to be Presiding Officer, Commercial Court, Lucknow.

No. 161/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Pradeep Kumar Singh-II, Principal Judge, Family Court, Varanasi to be Principal Judge, Family Court, Faizabad.

No. 162/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Sanjay Kumar Malik, Principal Judge, Family Court, Jhansi to be Principal Judge, Family Court, Aligarh.

No. 163/Admin.(Services)-2022–Sri Neeraj Kumar, Principal Judge, Family Court, Banda to be Presiding Officer, Commercial Court, Meerut.

No. 164/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Harish Tripathi, Principal Judge, Family Court Bareilly to be Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Lucknow.

No. 165/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Satya Prakash Tripathi, Principal Judge, Family Court, Ballia to be Principal Judge, Family Court, Raebareli.

No. 166/Admin.(Services)-2022–Sri Ravindra Vikram Singh, Principal Judge, Family Court, Reabareli to be Presiding Officer, Commercial Court, Jhansi.

No. 167/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Amit Pal Singh, Principal Judge, Family Court, Jalaun at Orai to be Principal Judge, Family Court, Hapur.

No. 168/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Ram Naresh Maurya, Principal Judge, Family Court, Agra to be Principal Judge, Family Court, Bhadohi at Gyanpur.

No. 169/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Arvind Kumar Mishra-II, Principal Judge, Family Court, Basti to be Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.

No. 170/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Smt. Anita Raj, Principal Judge, Family Court, Ghaziabad to be Principal Judge, Family Court, Basti.

No. 171/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Ashok Kumar Premi, Principal Judge, Family Court, Hamirpur to be Principal Judge, Family Court, Jhansi.

No. 172/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Manoj Kumar Singh Gautam, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Jaunpur to be Principal Judge, Family Court, Gorakhpur.

No. 173/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-

2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Adil Aftab Ahmad, Principal Judge, Family Court, Mau to be Principal Judge, Family Court, Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 174/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Ramesh Chand-I, Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Principal Judge, Family Court, Etawah.

No. 175/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Smt. Reeta Kaushik, Principal Judge, Family Court, Faizabad to be Principal Judge, Family Court, Jaunpur.

No. 176/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Bhoo Dev Gautam, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Faizabad to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Jaunpur.

No. 177/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Ram Nagina Yadav, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lucknow (North) to be Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar.

No. 178/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Birendra Kumar Singh, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bulandshahar to be Principal Judge, Family Court, Ghaziabad.

No. 179/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Ashok Kumar Singh-V, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gautam Buddha Nagar to be Principal Judge, Family Court, Mau.

No. 180/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Rajendra Prasad Srivastava-III, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Agra to be Principal Judge, Family Court, Banda.

No. 181/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Indra Deo Dubey, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad (South) to be Principal Judge, Family Court, Hamirpur.

No. 182/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Satya Prakash, Principal Judge, Family Court, Jaunpur to be Principal Judge, Family Court, Budaun.

No. 183/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Dhruva Kumar Tiwari, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Rampur to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (South).

No. 184/Admin.(Services)-2022–Sri Mayank Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Anti-corruption (VB-UPSEB), Lucknow *vice* Sri Harbans Narain.

No. 185/Admin.(Services)-2022–Sri Harbans Narain, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Session Judge, Lucknow.

No. 186/Admin.(Services)-2022–Smt. Rekha Sharma, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Lucknow *vice* Sri Mohd. Ghazali.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lucknow against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 187/Admin.(Services)-2022–Sri Mohd. Ghazali, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 188/Admin.(Services)-2022–Smt. Shivani Jayaswal, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Kalpana.

No. 189/Admin.(Services)-2022–Smt. Kalpana, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 190/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Padmakar Mani Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Principal Judge, Family Court, Balrampur.

No. 191/Admin.(Services)-2022–Sri Pankaj Jaiswal, Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Raebareli *vice* Sri Hira Lal-III.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Raebareli against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 192/Admin.(Services)-2022–Sri Hira Lal-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Raebareli for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Arun Kumar Mall.

No. 193/Admin.(Services)-2022–Sri Arun Kumar Mall, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge, Raebareli.

No. 194/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Zaigam Uddin, Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Principal Judge, Family Court, Jalaun at Orai.

No. 195/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Km. Rekha Agnihotri, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-corruption CBI, Court No. 3 Ghaziabad to be Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri.

No. 196/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Rakesh Kumar Shukla, Special Secretary and Additional L.R. (Judicial), Government of U.P. Lucknow to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar.

No. 197/Admin.(Services)-2022–Sri Udai Bhan Singh, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Budaun *vice* Sri Rama Shanker.

He is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 198/Admin.(Services)-2022–Sri Rama Shanker, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 199/Admin.(Services)-2022–Sri Shakti Putra Tomar, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Budaun *vice* Smt. Machala Agarwal.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 200/Admin.(Services)-2022–Smt. Machala Agarwal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the

Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Mahendra Singh-III.

No. 201/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Mahendra Singh-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Principal Judge, Family Court, Sultanpur.

No. 202/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Chandra Bhanu Singh, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Aligarh.

No. 203/Admin.(Services)-2022–Sri Jahendra Pal Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Balrampur to be Additional District & Session Judge (Fast Track Court), Balrampur for trying cases of crime against women *vice* Sri Vinod Kumar-V.

No. 204/Admin.(Services)-2022–Sri Vinod Kumar-V, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Balrampur to be Additional District & Session Judge/Special Judge Balrampur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Rajani Singh.

No. 205/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Smt. Rajani Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Balrampur to be Principal Judge, Family Court, Ballia.

No. 206/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Vipin Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Balrampur to be Principal Judge, Family Court, Agra.

No. 207/Admin.(Services)-2022–Smt. Lalita Gupta, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Saharanpur *vice* Sri Subhash Chandra-VIII.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Saharanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 208/Admin.(Services)-2022–Sri Subhash Chandra-VIII, Special Judge/Additional District & Sessions Judge Saharanpur to be Additional District & Session Judge/Special Judge Saharanpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Veer Kanedi Lal.

No. 209/Admin.(Services)-2022–Sri Veer Kanedi Lal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge Saharanpur to be Additional District & Session Judge, Sharanpur.

No. 210/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Km. Aradhana Rani, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Rampur.

No. 211/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Dharni Dhar Ojha, Judicial Member, Commercial Tax Tribunal, Bench-I, Kanpur to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gorakhpur.

No. 212/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Arbind Kumar Upadhyay, Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kaushambi.

No. 213/Admin.(Services)-2022–Sri Vijay Kumar Himanshu, Additional District & Sessions Judge Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Session Judge/Special Judge Kushinagar at Padrauna for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act,

1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Rajesh Upadhyay.

No. 214/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Rajesh Upadhyay, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Agra.

No. 215/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Vinod Kumar Jaiswal, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Principal Judge, Family Court, Kannauj.

No. 216/Admin.(Services)-2022–Sri Prashant Mittal, Additional District & Sessions Judge Bulandshahar to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Bulandshahar *vice* Smt. Sangita Sharma.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bulandshahar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 217/Admin.(Services)-2022–Smt. Sangita Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge Bulandshahar to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Bulandshahar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Yadavendra Singh.

No. 218/Admin.(Services)-2022–Sri Yadavendra Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Session Judge, Bulandshahar.

No. 219/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Rajeshwar Shukla, Additional District & Session Judge Bulandshahar to be Principal Judge, Family Court, Fatehpur.

No. 220/Admin.(Services)-2022–Smt. Namrata Agrawal, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Anti-corruption (VB-UPSEB), Gorakhpur *vice* Sri Sushil Kumar Kharwar.

No. 221/Admin.(Services)-2022–Sri Sushil Kumar Kharwar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Session Judge, Gorakhpur.

No. 222/Admin.(Services)-2022–Sri Vinay Arya, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Gorakhpur *vice* Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Gorakhpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 223/Admin.(Services)-2022–Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Session Judge, Gorakhpur.

No. 224/Admin.(Services)-2022–Sri Santosh Kumar Gautam, Additional District & Sessions Judge Gorakhpur to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Gorakhpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Jay Prakash.

No. 225/Admin.(Services)-2022–Sri Jay Prakash, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Session Judge, Gorakhpur.

No. 226/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Satya Nand Upadhyaya, Additional District & Session Judge Gorakhpur to be Principal Judge, Family Court, Muzaffarnagar.

No. 227/Admin.(Services)-2022–Sri Rajesh Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge Lakhimpur Kheri to be Additional District &

Session Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri *vice* Sri Parashu Ram.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lakhimpur Kheri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 228/Admin.(Services)-2022–Sri Parashu Ram, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Session Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 229/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Vinod Kumar Singh-IV, Additional District & Session Judge Lakhimpur Kheri to be Principal Judge, Family Court, Bijnor.

No. 230/Admin.(Services)-2022–Sri Ram Kishor-III, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Mathura *vice* Sri Harendra Prasad.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Mathura against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 231/Admin.(Services)-2022–Sri Harendra Prasad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Mathura for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Narendra Kumar Pandey.

No. 232/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Narendra Kumar Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gautam Buddha Nagar.

No. 233/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Anil Kumar Pandey, Additional District & Session Judge Mathura to be Principal Judge, Family Court, Shamli.

No. 234/Admin.(Services)-2022–Sri Ashok Kumar Dubey-I Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Sitapur *vice* Sri Rakesh Verma.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sitapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 235/Admin.(Services)-2022–Sri Rakesh Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Sitapur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Reeta Gupta.

No. 236/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Smt. Reeta Gupta, Special Judge/Additional District & Session Judge, Sitapur to be Principal Judge, Family Court, Gonda.

No. 237/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Sanjay Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Saharanpur.

No. 238/Admin.(Services)-2022–Sri Ratnesh Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Hardoi *vice* Smt. Priti Srivastava-II.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Hardoi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 239/Admin.(Services)-2022–Smt. Priti Srivastava-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Session Judge, Hardoi.

No. 240/Admin.(Services)-2022–Sri Sanjiv Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Hardoi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Mohd. Rizwanul Haque.

No. 241/Admin.(Services)-2022–Sri Mohd. Rizwanul Haque, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Session Judge, Hardoi.

No. 242/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Ravindra Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lucknow (North).

No. 243/Admin.(Services)-2022–Sri Anutosh Kumar Sharma, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Varanasi in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Rajendra Prasad Tripathi.

No. 244/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Rajendra Prasad Tripathi, Special Judge/Additional District & Session Judge, Varanasi to be Principal Judge, Family Court, Bareilly.

No. 245/Admin.(Services)-2022–Sri Asif Iqbal Rizvi, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Session Judge (Fast Track Court), Mau for trying cases of crime against women *vice* Sri Ram Raj-II.

No. 246/Admin.(Services)-2022–Sri Ram Raj-II, Additional District & Sessions Judge Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Mau for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Abhinay Kumar Mishra.

No. 247/Admin.(Services)-2022–Sri Abhinay Kumar Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Session Judge, Mau.

No. 248/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No. 272/Do-4-2022, dated 19-05-2022, Sri Budhi Sagar Mishra, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad (South).

No. 249/Admin.(Services)-2022–Sri Subedar Singh, Additional District & Sessions Judge Judge, Jaunpur to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Jaunpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Ramesh Dubey.

No. 250/Admin.(Services)-2022–Sri Ramesh Dubey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Session Judge, Jaunpur.

No. 251/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/460/VII-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 18-05-2022, Sri Arvind Kumar Srivastava, Additional District & Session Judge, Jaunpur to be Principal Judge, Family Court, Varanasi.

CORRIGENDUM/NOTIFICATION

May 20, 2022

No. 252/Admin.(Services)-2022–In the Court's Notification No. 160/Admin. (Services)/2022 dated 20-05-2022, the words "Presiding Officer, Commereial Court, Lucknow" be read as "Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow".

NOTIFICATION

May 25, 2022

No. 253/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of

Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Alok Pandey, Additional District & Sessions Judge (POCSO), Firozabad till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 254/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Intakhab Alam, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

May 31, 2022

No. 255/Admin.(Services)-2022–Sri Vivek, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hapur to be Senior Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

No. 256/Admin.(Services)-2022–On reinstatement, Sri Ranjeet Kumar Verma, the then Civil Judge (Junior Division), Jalalabad (Shahjahanpur) (under suspension attached with district headquarter Lucknow) to be Civil Judge (Junior Division), Lalitpur *vice* Sri Sourabh Mandloi.

No. 257/Admin.(Services)-2022–Sri Sourabh Mandloi, Civil Judge (Junior Division), Lalitpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur.

No. 258/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. U.O-30/VI-P-9-22-332G/91 T.C.-Nyay-2 dated 30-05-2022, Sri Ramesh, Additional District & Session Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Special Court No. 1 (Prevention of Corruption Act), Meerut.

June 04, 2022

No. 259/Admin.(Services)-2022–Sri Omkar Shukla Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Ballia *vice* Sri Mahesh Chandra Verma.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ballia against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 260/Admin.(Services)-2022–Sri Mahesh Chandra Verma, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Ballia for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Dinesh Kumar Mishra.

No. 261/Admin.(Services)-2022–Sri Dinesh Kumar Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Session Judge, Ballia.

No. 262/Admin.(Services)-2022–Sri Ashok Kumar-IX, Additional District & Sessions Judge, Siddharthnagar to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Siddharthnagar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant Court.

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

CORRIGENDUM

June 04, 2022

No. 7241/IVg-27/Admin.(A-3) Section Allahabad, dated 04-06-2022–In continuation to Court's Notification No. 156/IVg-27/Admin.(A-3) Section dated 31-03-2022 the name mentioned at Sl. No. 220 in the aforesaid Court's Notification dated 31-03-2022 be read as 'Sri Tarif Mustafa Khan' in place of 'Sri Tarif Muafa Khan'.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

शुद्धि-पत्र

13 जून, 2022 ई0

सं0 607/आठ–अ0जि0(भू0अ0) कानपुर नगर–कलेक्टर कानपुर नगर द्वारा जारी अधिसूचना सं0-55/आठ-अ0जि0(भू0अ0) कानपुर नगर/दिनांक 11 अप्रैल, 2022 अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, जो सरकारी गजट उ0प्र0, प्रयागराज दिनांक 21-05-2022 भाग-1क के पृष्ठ सं0 313 से 332 पर प्रकाशित भू-खण्ड सं0-352क के स्थान पर 3652क पढ़ा जाय।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

Corrigendum

June 13, 2022

No. 607/VIII-S.L.A.O.(L.A.) Kanpur Nagar–Notification No. 55/VIII-A.D.M. (L.A.) Kanpur Nagar issued by Collector, Kanpur Nagar Dated 11 April, 2022 under section-11 Right to Fair Compensation and Trasparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettelement Act, 2013, which should be read 3652Ka in place of land section No. 352Ka, published on page No. 313 to 332 of Government Gazette Uttar Pradesh Prayagraj dated 21.05.2022 Part-1Ka.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Kanpur Nagar.

पी0एस0यू0पी0–14 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जुलाई, 2022 ई० (आषाढ़ 11, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

21 जून, 2022 ई0

उपविधि

सं0 2104/विकास सहायक/2021-22–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239 (1) एवं 239 (2) की पठित धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मैनपुरी द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन के नक्शे एवं निर्माण को नियंन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनायी गयी हैं जो जिला पंचायत, मैनपुरी के ग्राम्य क्षेत्र जो कि अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक क्षेत्र को हटाते हुये शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले भवन नक्शा निर्माण की प्रचलित उपविधि भवन नक्शा निर्माण के अनुज्ञा शुल्क के दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, शासन लखनऊ के मॉडल वायलाज शासनादेश संख्या 2028/33-सेल-2013-14, दिनांक 20 मार्च, 2014 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में पूर्व में प्रचलित उपविधियों की अनुज्ञा शुल्क दरों में संशोधन किया गया है, जिसका अनुमोदन जिला पंचायत, बोर्ड बैठक दिनांक 23 मार्च, 2019 के अन्य प्रस्ताव संख्या 02 एवं बोर्ड बैठक दिनांक 08 जनवरी, 2021 के प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा संशोधित अनुज्ञा शुल्क दरों का अनुमोदन सर्वसम्मति से पारित किया गया है। पारित पस्ताव के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र आज के अंक दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं अंक 21 जुलाई, 2019 भूल सुधार संशोधन एवं उपविधि संशोधन सूचना "दैनिक जागरण" के अंक 12 फरवरी, 2021 एवं दैनिक "आज" के अंक 14 फरवरी, 2021 में संशोधित उपविधि का प्रकाशन कराकर जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव 30 दिन के अन्तर्गत मांगे गये निर्धारित अवधि तक सुझाव/आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अनुसार आयुक्त महोदय आगरा मण्डल आगरा के अनुमोदन/स्वीकृति के पश्चात् शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। इस उपविधि के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होने के दिनांक से पूर्व प्रचलित उपविधि स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भाग-1

प्रस्तावना एवं परिभाषायें

1—''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2—''ग्राम्य क्षेत्र'' का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 (U.P.S.I.D.C.) या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन से तात्पर्य भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टयों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टॉप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकले हुये भाग से है, जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे—रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियों (F.A.R.) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14—ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से हैं, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15—प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

अ—अभियन्ता—अभियन्ता, जिला पंचायत, मैनपुरी से है।

ब—अवर अभियन्ता— इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिये निदेशित (Designated) किया गया हो।

16—कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, मैनपुरी से है।

17—अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18—स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19—रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भजल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20—सेटबैक (Setback) का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थित या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोडी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21—अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मैनपुरी से हैं

22—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संघटित जिला पंचायत, मैनपुरी से है।

23—अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, मैनपुरी से है।

24—बहु—मंजिली भवन (Multy Storey) भू-तल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु-मंजिल कहलायेगा।

25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं इसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरामदा, बालकनी, कॉरनर्स या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल, व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद की संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रकम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक

ज्वलनशील हो जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव–गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रकिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खडे हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National Building Code (N.B.C) एवं Bureau of Indian Standards (B.I.S.) यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

भाग–2

उपविधि

यह उपविधियां जिला पंचातय, मैनपुरी के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार एवं भू-खण्डों के विकास आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां–

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

(1) उक्त परिभाषित ''ग्राम्य क्षेत्र'' में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी–

[**अ**] यह उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी की शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

[**ब**] सफेदी व रंग-रोगन के लिये।

[**स**] प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिये।

[**य**] पूर्व स्थान व छत पुनःनिर्माण के लिये।

[**र**] प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनःनिर्माण।

[**व**] मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे–

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती प्राप्त करेगा–

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम एवं पूर्ण पता।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख दाखिल-खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा–

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा, पूर्ण विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहु–मंजिल भवन (Multy Storey) भू-तल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगा–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकास, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टयां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ–

1–निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि।

(अ)–प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़कानें का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकि अनुदेश (Technical Instructions)–

1–नक्शा/प्लान में निम्न अनुदेशों का पालन किया जायेगा–

(क) एक आवास गृह में 4.50 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग अधिकतम 2.40 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौडा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा के बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.50 मीटर होगी तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.50 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु-मंजिल भवन में कम से कम एक सामान/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लाक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसे पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एण्ड पर ब्लाक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु-मंजिल भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम तीन सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.40 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोडा जा सकता है–

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लाक, ड्राईवर रूम, विद्युत् उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–**(क)** आवासीय भवन के कमरे का आकर 2.40 मीटर एवं 9.50 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.0 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.0 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिये।

4—**(क)** पार्क, टोट-लोट्स, लैंड स्केप आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6—बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम—

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1,000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन पर एक अतिरिक्त वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित एवं अविकसित जनपदों की सूची-1—

(क) लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर एवं झांसी।

(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न अन्य सभी जनपद।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.)—

विभिन्न भवनों हेतु भू—आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) के मानक निम्नवत् होंगे

क्र0सं0	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (F.AR.)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची-1 के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय भवन—				
	(i) भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) भू-खण्ड 501—2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15

1	2	3	4	5	6
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन–				
	(i) व्यावसायिक केन्द्र, शॉपिंग मॉल्स, सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकानें एवं मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन–				
	(i) समस्त उच्च शिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज आदि।	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेन्टर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन–	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन–				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन,	40	2.00	30	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन काम्प्लेक्स, शूटिंग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी हाउस	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेटबैक (Setback)

क्र0 सं0	भू-खण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) वर्ग मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैंड स्केपिंग (Land Scaping)	खुला स्थान प्रतिशत तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300 तक	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301–500 तक	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501–2000 तक	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001–6000 तक	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001–12000 तक	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001–20000 तक	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001–40000 तक	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्र0सं0	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस–

1–तीन मंजिल अथवा 15.0 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6.0 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.0 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0 एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास_जीने तक पहुँच दूरी 15.0 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10.00 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एड, होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राईजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी–

क्र0सं0	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी (मीटर में)	क्षैतिज दूरी (मीटर में)
1	2	3	4
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोज्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाईल टावर्स की स्थापना–

1–अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

2–शैक्षणिक संस्थान, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

3–मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (R.W.A.) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

4–सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व कांउसिल आर्केटेक्चर में पंजीकृत एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण.पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी मानकों के आधार पर भवन की सुदृढ़ता के संबन्ध में अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्थान पर आई0आई0टी0 तथा इसके समकक्ष संस्थान, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण.पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

5–टावर हेतु अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाईसेन्स प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को ही प्रदान की जायेगी।

6–जनरेटर केवल ''साईलैन्ट'' प्रकृति के होंगे तथा भू.तल पर ही लगाये जायेंगे।

7–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.0 मीटर ऊपर होना चाहिए।

8–जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण.पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9–सेवा ऑपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ.पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस.पास के भवनों को एवं जान.माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

10–सेवा प्रदाता द्वारा टावर में जनसामान्य का प्रवेश वर्जित करने के लिए समुचित उपाय यथा वायर फेंसिंग, भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजों पर ताला आदि के प्रावधानों के साथ टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर, उचित स्थान पर चेतावनी सूचक साइन बोर्ड लगाना होगा जिसमें ''खतरा'', ''आर0एफ0विकिरण'', ''कृपया प्रवेश न करें'' लिखा होगा।

11–इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12–अनुज्ञा.पत्र प्राप्त करने के लिए सूची-1(क) के अनुसार प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

13–अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार लिए गये शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराना होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकास शुल्क आदि नही लिया जायेगा।

नक्शा स्वीकृति की दरें (कृपया देखें भाग-छ)–

1–आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन–

सूची-1**(क)** के अनुसार सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 25.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

2–व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन–

सूची-1**(क)** के अनुसार सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

3–(A) भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार से प्लाटों में बाँटना।

(B) भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, बरातघर/बैंकट हाल आदि।

(C) भूमि का उपभोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना, जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर0सी0सी0, पाईप आदि।

(D) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)।

उपरोक्त 3. (A) से (D) तक सूची-1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

4–पुरानें भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

5–स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

6–बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

7–यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है, तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होगी।

8–उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा भू.खण्ड विकसित करने पर या इन उपविधियों की किसी उपविधि/उपविधियों का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता भुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

9–पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु (सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर) दरें सूची-1 (क) के अनुसार रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

10–चार दीवारी/बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें सूची-1 (क) के अनुसार रु0 05.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया–

1–स्वामी द्वारा आवेदन.पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20% धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय, जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही

नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (थ्मेंपइपसपजल), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकि आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक की अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के अनुसार जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का मांग.पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण, अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका यह आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (Genreal Instruction)–

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.50 किलोमीटर के दायरे में उपविधियों के अनुसार निर्माण हेतु मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–प्रस्तावित भू.खण्ड की सीमा से बाहर किसी भी, प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3–भवन के भू.तल पर स्टिल्ट पार्किंग वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये, तो इनका क्षेत्रफल फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) में शामिल नहीं होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा, चाहे विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, के 05 किलोमीटर की परिधि में 30 मीटर से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन फ्लोर एरिया रेशियो अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपविधियों में दी गयी सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के लिये नियमों व विनियमों का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचानात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों का पालन न करने की दशा में जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें–

1–अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की भवन निर्माण नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा उसके द्वारा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

2–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को अधिकार होगा की वह अभियन्ता की संस्तुति पर पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शे में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा यथारूप स्वीकार कर दें।

3–पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाइन वास्तुविद् के अधीन कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा करया जायेगा।

4–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेन्स/अनापत्ति प्रामण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उनसे लाईसेन्स/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मैनपुरी यह निर्देश देती है कि जो भी स्वामी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोश सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये जो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

अमित गुप्ता,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

सं0 2105/विकास सहायक/2021-22–जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले मोबाइल टावरों एवं अन्य व्यवसायिक टावरों आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी है, यदि किसी व्यक्ति को प्रश्नगत् उपविधि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते हैं, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले मोबाइल टावरों एवं अन्य व्यवसायिक टावरों आदि के नियन्त्रण करने हेतु निम्नांकित उपविधि बनाई गई है, जो राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1–यह उपविधि मोबाइल टावरों एवं अन्य व्यवसायिक टावरों आदि संचालन एवं नियन्त्रण उपविधि कहलायेगी।

2–यह उपविधि जिला पंचायत मैनपुरी के समस्त ग्रामीण अंचल की वर्तमान और भविष्य में लगने वाले टावरों को नियन्त्रित करेगी।

3–आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात् गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1–परिभाषायें–ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की (यथा संशोधित अधिनियम, 1994) धारा 2 (10) में यथा परिभाषित जनपद मैनपुरी के ग्राम्य क्षेत्र से है।

2–टावरों का अर्थ टावर से है, जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से हो रहा है–

(1) कोई भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान का मालिक अथवा साझेदार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में टावर तब तक नहीं लगा सकेगा जब तक उसने निर्धारित शुल्क जिला पंचायत में जमा करके लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो।

(2) किसी टावर के मालिक को इस आधार पर छूट नहीं प्रदान की जायेगी कि उसने अन्य किसी निकाय अथवा संस्था अथवा सरकारी विभाग से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है। यदि टावर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है तो उसे प्रत्येक दशा में जिला पंचायत से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है।

(3) इस उपविधि के अधीन लाइसेन्स पाने वाले व्यक्ति व पड़ोस के निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा–

[क] टावर पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत से आठ मीटर ऊंचाई से कम का नहीं होगा।

[ख] साधारण शोरगुल रोकने के लिये टावर के अहाते में शोरगुल रोकने वाले यंत्र (साईलेन्सर) को जहां आवश्यक हो लगाया जाना चाहिए।

[ग] टावर की देख-रेख हेतु लगाये गये मजदूर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा।

[घ] टावर हेतु आवश्यक भवन आदि के फर्श की नालियां पक्की होनीं चाहिए तथा उनकी आवश्यकतानुसार मरम्मत होती रहे। प्रयोग किये हुए पानी को बाहर निकालने के लिए ऐसी नालियां बनाई जायें जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपेक्षित हों।

[ङ] लाइसेन्स अधिकारियों के सन्तोषानुसार टावर का आहाता सभी समय स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सन्तोषजनक अवस्था में रखना होगा।

[च] ऐसे व्यक्ति को टावर में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो।

[छ] शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा या स्वच्छता की दृष्टि से अपनाई गई नीतियों से सम्बन्धी शासनादेश स्वतः लागू समझे जायेंगे।

[ज] टावर स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रश्नगत् टावर का निर्माण प्रशिक्षित अभियन्ता की देख-रेख में किया गया है एवं वह पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। इससे किसी भी प्रकार की जनहानि होने की संभावना नहीं है। दुर्घटना की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

4–मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होगा।

5–उपविधि में वर्णित दण्ड के अतिरिक्त किसी भी धारा के उल्लंघन करने पर लाइसेन्स अधिकारी/अध्यक्ष को लाइसेन्स रद्द अथवा निलम्बित करने का अधिकार होगा।

6–लाइसेन्स अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत के यहां अपील कर सकेगा और अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होगा उक्त दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

7–लाइसेंन्सिंग की अवधि एक वर्ष की होगी जो कि 01 अप्रैल (एक अप्रैल) से प्रारम्भ तथा 31 मार्च (इकत्तीस मार्च) को समाप्त होगी। मध्य सत्र में जारी होने वाले लाइसेन्स की अवधि भी सत्र के 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

8–प्रत्येक टावर के प्रोपराइटर को रु0 25,000.00 (रु0 पच्चीस हजार मात्र) लाइसेन्स शुल्क का भुगतान करना होगा तभी वह जिला पंचायत से लाइसेन्स पाने का हकदार होगा।

9–केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य कोई विधि विहित संस्था के नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स यदि कोई हो, से भिन्न यह लाइसेन्स होगा।

10–इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाइसेन्स का नवीनीकारण 30 अप्रैल तक प्रति वर्ष आगामी वर्ष के लिए कराना आवश्यक होगा जिससे उपविधि की धारा 8 की तालिका में वर्णित दरें ही प्रभावी होंगी, 30 अप्रैल के पश्चात् रु0 100,00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा, तभी नवीनीकारण किया जा सकेगा। विलम्ब की अवधि मई से प्रारम्भ होगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित अधिनियम, 1994) की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मैनपुरी निर्देश देती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधियों का उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रू0: 1000.00 तक का अर्थ दण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो वह रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास का भी दण्ड दिया जा सकता है।

अमित गुप्ता,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

पी0एस0यू0पी0–14 हिन्दी गजट–भाग 3–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जुलाई, 2022 ई० (आषाढ़ 11, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गाजीपुर

28 जून, 2022 ई0

सं0 219/23-स्वकर गजट/न0पा0प0गा0(2022-23)–नगरपालिका परिषद्, गाजीपुर द्वारा पूर्व में स्वकर निर्धारण सम्बन्धी स्वीकृत करते हुये सरकारी गजट उ0प्र0, इलाहाबाद के दिनांक 05 मई, 2012 के अंक में अन्तिम रूप से प्रकाशित करते हुये विभिन्न वृहद् प्रावधानों के साथ दरें निर्धारित करते हुये उपविधि लागू की गयी थी, जिसे नगरपालिका परिषद् गाजीपुर के मा0 बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 को स्वकर की दरें अधिक होने के कारण नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 136 व धारा 132(2) के अन्तर्गत घटाये जाने का प्रस्ताव किया है। तद्नुपालन में निम्नानुसार उपविधि संशोधित की जाती है–

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार और प्रारम्भ–

1–यह नियमावली नगरपालिका परिषद् गाजीपुर सम्पत्ति कर/स्वकर संशोधन नियमावली, 2022 कही जायेगी।

2–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, काजीपुर के क्षेत्रान्तर्गत लागू होगी।

3–यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत स्वकर के दरों के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार आवासीय दरों में पूर्व उपविधि दिनांक 05 मई, 2012 से लागू दरों में 50 प्रतिशत की कमी की जाती है व गैर आवासीय (वाणिज्यिक) भवनों आदि पर आवासीय से छः गुना दरें निर्धारित की जाती है तथा पूर्व में बढ़े हुये दर से जमा हुये धनराशि का जो अन्तर होगा उसका समायोजन आगामी वर्षों में किया जायेगा, शेष समस्त प्रावधान पूर्व उपविधि के ही लागू होंगे। यह संशोधन नियमावली पूर्व सम्पत्ति कर/स्वकर नियमावली दिनांक 05 मई, 2012 की ही अंग मानी जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
गाजीपुर।

सूचना

मे0 त्रिवेणी क्वायर इन्डस्ट्रीज जिसमें कि पांच पार्टनर श्रीमती चम्पा देवी जायसवाल, श्रीमती सुधा जायसवाल, श्री दिलीप जायसवाल, श्रीमती उर्मिला सिह एवं श्री विरेन्द्र जायसवाल हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्रीमती चम्पा देवी जायसवाल स्वेच्छा से अपने को फर्म की साझेदारी से सेवामुक्त (रिटायरमेंट) कर लिया है।

विरेन्द्र जायसवाल,

पार्टनर,

मे0 त्रिवेणी क्वायर इन्डस्ट्रीज,

976, मुट्ठीगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम पार्थ सिंह पुत्र संजय सिंह है। मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम हर्ष वर्धन सिंह पुत्र संजय सिंह अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल0आई0सी0 पालिसी नं0-310868595 में मेरा घर का नाम पार्थ सिंह अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे हर्ष वर्धन सिंह पुत्र संजय सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

हर्ष वर्धन सिंह,

निवासी-फ्लैट नं0-97,

स्वास्तिक मैग्नोलिया, अपार्टमेन्ट,

15/17, कमला नेहरू मार्ग, प्रयागराज।

सूचना

फर्म मेसर्स वी0एम0 कान्ट्रैक्टर वत्रा बिल्डिंग अम्बाला रोड, सहारनपुर जिसका पंजीकरण 09 जनवरी, 2014 को उपनिबन्धक फर्म्स सोसायटी द्वारा हुआ था, फर्म्स में 1–विशम्भरलाल, 2–रविन्द्र कुमार वत्रा, 3–कवलजी सिंह वत्रा, 4–रवनीत सिंह पार्टनर थे। दिनांक 06 जनवरी, 2022 को विशम्भरलाल पार्टनर की मृत्यु हो गयी तथा उसी दिनांक को महेश कुमार वासदेव फर्म्स में नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये, वर्तमान में रविंद्र कुमार वत्रा, कवलजीत सिंह वत्रा, रवनीत सिंह वत्रा और महेश कुमार वासदेव फर्म्स में पार्टनर रह गये हैं।

रवनीत सिंह वत्रा,

पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बचपन का पुकारने का नाम अंकुर सिद्धार्थ एवं मेरे समस्त शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम मोहित कुमार पुत्र स्व0 रामरतन दर्ज है। भविष्य में मुझे मोहित कुमार पुत्र स्व0 रामरतन के नाम से जाना व पहचाना जाये एवं मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा नाम मोहित कुमार दर्ज कर लिया जाये।

मोहित कुमार,

पुत्र स्व0 रामरतन,

निवासी ग्राम टिकौली, पोस्ट अटरिया,

परगना मनवा, जनपद सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बचपन का नाम तेजपाल एवं मेरे समस्त शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम राम औतार पुत्र परागी, निवासी ग्राम बिनौरा, पो0 किशुनपुर, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर के नाम से जाना व पहचाना जाये एवं मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा उक्त नाम दर्ज किया जाये।

राम औतार,

पुत्र परागी,

निवासी ग्राम बिनौरा, पो0 किशुनपुर,

तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स एवरग्रीन इन्टर प्राइजेज, 491/38ग, बगिया, मुंशीगंज, डालीगंज, जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है। फर्म में दो साझेदार क्रमशः श्री प्रवीन शुक्ला एवं श्री प्रकाश शुक्ला थे, जिनमें से दिनांक 08 जून, 2022 को श्री प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 रामाधार शुक्ला फर्म की साझेदारी से आपसी सहमति से निकल रहे हैं तथा उनके स्थान पर इसी तिथि से एक नयी साझेदार श्रीमती कुसुम शुक्ला पत्नी श्री प्रवीन शुक्ला, निवासी 491/38ग, बगिया, मुंशीगंज,

डालीगंज, जिला लखनऊ फर्म की साझेदारी में शामिल हो रही हैं। जिसकी सूचना दी जा रही है।

प्रवीन शुक्ला,
साझेदार,
एवरग्रीन इन्टर प्राइजेज,
491/38ग, बगिया, मुंशीगंज, डालीगंज,
जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स किसान वेनियर एण्ड प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज, 559खा/370, न्यू श्रीनगर, आलमबाग, लखनऊ-226005, रजि0 नं0-LUC/0002821 का पंजीकरण दिनांक 11 मार्च, 2019 एवं संशोधन दिनांक 23 जनवरी, 2020 को कराया गया पूर्व का नाम मां दुर्गा वेनियर से परिवर्तित कर किसान वेनियर एण्ड प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज कर दिया गया था जिसमें दीपक सेवक प्रथम, सपना अग्रवाल द्वितीय एवं सबूर खान तृतीय साझीदार थे, जिसमें प्रथम साझीदार दीपक सेवक एवं द्वितीय साझेदार सपना अग्रवाल दिनांक 24 मार्च, 2022 से फर्म की साझेदारी से हट गये हैं जिनके स्थान पर सिकंदर खान पुत्र सबूर खान को दिनांक 24 मार्च, 2022 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के प्रथम एवं द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में सबूर खान प्रथम एवं सिकंदर खान द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं तथा फर्म का स्थान परिवर्तित करके 534, ओपारी मंडई, सण्डीला, महतवाना, जिला-हरदोई-241204 कर दिया गया है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सबूर खान,
साझेदार,
मेसर्स किसान वेनियर,
एण्ड प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज।

सूचना

मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम MOHD RAFIQ AHMAD तथा कुछ अभिलेखों में MUHAMMAD RAFIQ AHMAD अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे MOHD RAFIQ AHMAD पुत्र इस्तियाक अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मो0 रफीक अहमद,
MOHD RAFIQ AHMAD,
ग्राम शुकुलपुर गड़वारीपुर,
पो0 गड़वारा, प्रतापगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स माँ जगदम्बा रीयल स्टेट, 598, सफीपुर, लाल बंगला, कानपुर, रजि0 सं0-K-11519 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के अनुसार फर्म की भागीदारी में श्रीमती नीतू सिंह व श्री अमर बहादुर साझीदार थे तथा दिनांक 22 मई, 2014 को साझीदारी में श्रीमती तेजपती देवी व श्री रोहित सिंह को शामिल किया गया है। भागीदारी डीड दिनांक 31 जनवरी, 2015 को साझीदार श्री अमर बहादुर साझीदारी से पृथक् हो गये हैं। भागीदारी श्रीमती तेजपती देवी पुत्री श्री दान बहादुर सिंह पत्नी श्री पारस नाथ सिंह का दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को स्वर्गवास हो गया है। भागीदारी डीड दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के अनुसार वर्तमान में फर्म में श्रीमती नीतू सिंह व श्री रोहित सिंह साझीदार हैं।

श्रीमती नीतू सिंह,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स क्लोव कैटेरेर्स एण्ड कन्फैक्सनर्स, 382, सैकिण्ड फ्लोर, नीति खण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014 की साझीदारी में श्री रणजीत गौतम एवं श्री आनन्द भारती थे। दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 को श्री आनन्द भारती का स्वर्गवास होने के कारण उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती अंजना भारती सम्मिलित हुई हैं। दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 की साझीदारीनामा के अनुसार श्री रणजीत गौतम एवं श्रीमती अंजना भारती साझीदार हैं। यह घोषणा करता

हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रणजीत गौतम,
साझीदार,
मेसर्स क्लोव कैटेरर्स एण्ड,
कन्फैक्सनर्स, 382, सैकिण्ड फ्लोर,
नीतिखण्ड-2, इन्दिरापुरम्,
गाजियाबाद–201014।

सूचना

मेरे पुत्र कार्तिकेय शर्मा के CBSE बोर्ड 10वीं व 12वीं के अंक-पत्र प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश मेरा नाम R.V. Sharma दर्ज है। जबकि सही नाम Ram Vinay Sharma पुत्र रामानन्द शर्मा, गली नं0 4 लक्ष्मीधाम कालोनी, न्यू माधोनगर सहारनपुर है।

राम विनय शर्मा,
पुत्र रामानन्द शर्मा,
गली नं0 4, लक्ष्मीधाम कालोनी,
न्यू माधो नगर, सहानपुर-247001

पी0एस0यू0पी0–14 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।